फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

चैनाराम पुत्र मगनाराम वगैरा बनाम बाबुराम पुत्र टीकूराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 21/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
26.04.2019	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को आगामी पेशी तारीख 29.05.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित जमीन मौजा सेखाला पटवार हल्का सेखाला तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 506 रकबा 24.04 बीघा, 569 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 570 रकबा 29.06 बीघा, खसरा नम्बर 608 रकबा 17.17 बीघा कुल 71.11 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि का विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 29.05.2019 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
29/5/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] वकालतनामा पेश [illegible] हो। पत्रावली दिनांक [illegible]	
4/7/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/9/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज</th></tr>
<tr><td>7/1/25</td><td>
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :–

1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है।
2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है।
3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सेखाला पटवार हल्का सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 506, 569, 570, 608 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद [illegible] जारी की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested

उप[illegible]कारी,
बालेसर
</td></tr>
</table>